न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 16/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 पीराराम पुत्र नोनजी		1 हस्तुदेवी पत्नी नवा
2 पीथाराम पुत्र नोनजी जातिगण कलबी निवासीगण दांतीवास तहसील भीनमाल जिला जालोर		2 देवाराम पुत्र नवा
		3 पांचाराम पुत्र नवा
		4 कृष्णकुमार पुत्र नवा जातिगण कलबी निवासीगण दांतीवास तहसील भीनमाल
		5 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे., ए.डी.बी. बैंक भीनमाल तहसील भीनमाल
		6 भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री बसन्त कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

–: निर्णय :–

दिनांकः– 8.6.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2016 बअनवान पीराराम बनाम हस्तुदेवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 30.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम दांतीवास के खसरा नम्बर 2167 रकबा 2.22 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। जिसमें आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

होने से अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2168 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि के निकटतम मार्ग खसरा नमबर 2172 है, जो मौके पर खुला है, जिससे आवागमन भी हो रहा है। अपीलाण्ट द्वारा खसरा नमबर 2169 में से न तो आवागमन किया जा रहा है तथा न ही कभी आवागमन किया गया। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए खसरा नम्बर 2169 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाए जाने एवं खसरा नम्बर 2172 में से आवागमन बंद होना अंकित करते हुए अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों की किसी रूप में पालना नहीं की है, न तो रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता को रेखांकित किया तथा न ही मार्ग की उपलब्धता का परीक्षण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए नजरी नक्शे में दर्शित ए0बी0सी0डी0 मार्ग से रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट्स की भूमि को दो भागों में विभक्त करने की मंशा से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट आरम्भ से ही खसरा नम्बर 2169 में से ही आवागमन करता है। जो तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी साबित होता है। कालान्तर में खसरा नम्बर 2169 के खातेदार द्वारा रास्ता बन्द कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त रास्ते को खुलवाने की कार्यवाही नहीं कर, नया रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा, जो देय नहीं था। अपीलाण्ट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट्स को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत रास्ता उपलब्ध नहीं होने एवं आवागमन का अभाव सिद्ध होने पर रास्ता प्रदान किए जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए की मंशा के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा दांतीवास के खसरा नम्बर 1267 में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1168 में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार भीनमाल से रिपोर्ट तलब की तथा

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया। तहसीलदार भीनमाल द्वारा प्रथम रिपोर्ट जरिये पत्रांक/भू0अ0/2984 दिनांक 17.08.2016 के जरिये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई सरकारी मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी खसरा नमबर 2169 में से होकर आवागमन करता था, जो वर्तमान में बन्द है। प्रार्थी के खेत से नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 2172 है। जिस रास्ते की प्रार्थी द्वारा मांग की गई है, वो खसरा नम्बर 2168 में से होकर खसरा नम्बर 2172 से मिलता है। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग होना बताते हुए तहसीलदार भीनमाल से पुनः जांच रिपोर्ट तलब कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार भीनमाल से पुनः जांच रिपोर्ट तलब की गई, जो तहसीलदार भीनमाल द्वारा जरिये पत्रांक/भू0अ0/16/4432 दिनांक 19.12.2016 के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें जाहिर किया कि खसरा नम्बर 2172 गै0मु0 रास्ता मौके पर खुला है तथा उक्त रास्ते पर कई वर्षो से आवागमन नहीं हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 2169 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाने तथा खसरा नम्बर 2172 पर भी कई वर्षो से आवागमन बन्द होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जैर अपील निर्णय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है तथा न ही ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का समुचित परीक्षण किया गया हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के जो मुख्य आधार बिन्दु है, उनमें से वैकल्पिक मार्ग का अभाव, मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता एवं विशिष्ठतया नये मार्ग के मामले में अन्य खातेदार की जोत में से आवागमन हेतु सुविधाजनक उपयोग का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी जोत में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा किसी स्तर पर प्रमाणित नहीं हुआ है कि अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो अथवा वांछित रास्ता अपीलाण्ट के सुविधाजनक उपयोग हेतु चाहा गया हो। इसके अतिरिक्त जिन तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, वे भी विधि सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2016 बअनवान पीराराम बनाम हस्तुदेवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 30.01.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण की जांच कर पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर